

राजस्थान में राष्ट्रीय आन्दोलन एक अध्ययन

डॉ० नीलम गौड़, प्राचार्य, व्यापार मण्डल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हनुमानगढ़।

परिचयात्मक शोध का परिचय

जन जागृति के इस महाकुंभ में कई अन्य संस्थाएँ भी इस कार्य में इनके साथ जुड़ी हुई थी। ऐसी संस्थाएँ देश के अन्य राज्यों में भी सक्रिय थीं अतः इस संस्था के सदस्यों को एक दूसरे से तथा ब्रिटिश प्रांतों के कांग्रेस के सदस्यों से मिलने का मौका मिलता रहता था। इस अवसर पर उन्हें कुछ निर्णय लेने होते थे। इसके लिए ये आवश्यक हो गया कि एक ऐसी केन्द्रीय संस्था हो जो विभिन्न राज्यों के लोगों को एक लड़ी में बांध सके। इस दिशा में प्रथम प्रयास 1918 में एक आर मेहता द्वारा खातीवार में किया गया, परन्तु ये असफल रहा। 1920 में अजमेर सत्र में सभी राज्यों की बड़ी कांग्रेस स्थापित की गई। ऐसी एक सभा नागपुर में 27 दिसम्बर 1920 को रखी गई, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से 4000 प्रतिनिधित्व उपस्थित हुए। इस सभा में ये स्पष्ट विचार किया गया कि राज्यों का अलग-अलग प्रतिनिधित्व होने से कांग्रेस द्वारा उनकी बात को वजन नहीं प्राप्त होता है। परन्तु सभी राज्यों के प्रतिनिधि अपने विचार तथा मांगे एक आवाज में कहेंगे तो उन रियासत के लोगों की आवाज कांग्रेस द्वारा विचारणीय होगी। इस सभा ने कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किये जो देशी रियासत के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित थे। दक्षिण राज्य संघ के मंत्री एन.सी. केलर के 1922 ने निमंत्रण पर स्टेट पिपुल्स के कुछ मुख्य प्रतिनिधियों का मिलन पूना में “भारत सेवक समाज” में हुआ। इस मिटिंग में एक केन्द्रीय संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया तथा कुछ ही महिनो बाद एक वृहत सत्र आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया, परन्तु ये निर्णय कई सालों तक पूरा नहीं हो सका। 1926 में स्टेट पिपुल्स के कुछ प्रतिनिधियों ने मिलकर एक अस्थाई कमेटी गठित की तथा केन्द्रीय संस्था की स्थापना पर अपने विचार प्रकट किये। कमेटी की पहली सभा अक्टूबर 1926 में हुई। इस सभा में संस्था से संबंधित निर्णय लिये गये। अप्रैल 1927 में स्टेट पिपुल्स की एक अन्य सभा भारत सेवक समाज भवन में की गई।

प्रस्तावित शोध का महत्व

1927 में राजस्थान के विभिन्न नेताओं के द्वारा एक नये जोश के साथ “स्टेट पिपुल्स कांग्रेस” का सत्र आयोजित किया गया। इसका अब मुख्य उद्देश्य राजस्थान में होने वाले विभिन्न गतिविधियों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना था।

1931 में श्री राम नारायण चौधरी ने प्रथम कांग्रेस का आयोजन सत्र बुलाया, इसमें जय नारायण व्यास द्वारा भी प्रयास किये गये। इन्होंने जोधपुर में राजस्थान के सभी राजनैतिक कार्यकर्ताओं की सभी बुलवाई, परन्तु जोधपुर में अफसरों के दमनात्मक गतिविधियों के कारण के प्रयास सफल नहीं हो सका। अतः ये सभा ब्यावर में रखी गई।

1936 में जब आल इण्डिया स्टेट पिपुल्स कांग्रेस ने अपना संविधान निर्मित किया तब राजस्थान स्टेट में प्रादेशिक कांग्रेस कराने के प्रयास शुरू किये गये, परन्तु राजस्थान के राजनैतिक नेताओं के आपसी मतभेदों के चलते ये प्रयास असफल हुये। उपरोक्त प्रादेशिक कांग्रेस का 1937 का सत्र गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में उदयपुर में रखा गया। परन्तु इस समय भी प्रादेशिक कांग्रेस की योजना को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सका। अतः राजस्थान के विभिन्न नेताओं ने अभियान को अपने स्रोत तथा स्थानीय तरीकों से चलाने का निर्णय किया, परन्तु वास्तव में “ऑल इण्डिया पिपुल्स कांग्रेस” के राजस्थान स्टेट में स्थानीय ईकाई के रूप को प्रजामण्डल का नाम दिया गया।

प्रस्तावित शोध के सोपान

19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक व धार्मिक आन्दोलन का विशेषतः आर्य समाज का योगदान महत्वपूर्ण है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द की मेवाड़ के विभिन्न स्थानों की यात्रा और उनके संदेश ने जनता में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित कर दिया। दयानन्द अपनी मेवाड़ यात्रा के दौरान उदयपुर, चितौड़, शाहपुरा, बनेडा स्थानों पर गये तथा स्वराज्य, स्वदेशी, स्वधर्म व स्वभाषा पर जोड़ दिया। किसान अथवा भीलों में ही असंतोष व्याप्त नहीं था, अपितु जन सामान्य भी इससे अछूता नहीं था। परन्तु संगठन के अभाव में असंतोष व्यक्त करने का संगठित मार्ग दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना होने पर भी यह संस्था देशी रियासतों के प्रति उदासीन ही रही।

नागपुर तथा अहमदाबाद के अधिवेशनों में हुई चर्चा तथा प्रस्ताव इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। परन्तु हरिपुरा कांग्रेस में स्थिति में परिवर्तन आया और 1938 के इस अधिवेशन में रिसासती जनता को भी अपने-अपने राज्य में संगठन निर्माण करने तथा अधिकारों के लिए आन्दोलन करने की छूट दे दी गई। अतः उसी वर्ष 24 अप्रैल को उदयपुर में मेवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना हुई।

प्रस्तावित शोध के उद्देश्य

1938 में अंत में जयपुर प्रजामण्डल अस्तित्व में आया। 1942 में इस मण्डल ने राज्य की दमनकारी नीति की आलोचना के पर्चे बंटवाये। इससे सजा ज्ञाननाथ ने क्रोधित हो गये। पुलिस ने मण्डल के दफ्तर पर छापा मारा और उनके सभी कागजात जब्त कर लिये। तत्पश्चात 2 अप्रैल 1940 को राज्य ने इस मण्डल को स्वीकार कर लिया और उनके लोकमत जागृत करने के अधिकार को स्वीकार कर लिया। इसे जनता की शिकायतें महाराजा तक पहुँचाने का अधिकार भी दिया गया। 1941 में हीरालाल शास्त्री ने कुछ सुधारों की मांग की और 1945 में एक समिति गठित करके कुछ संवैधानिक सुधार लागू किये गये, जो 1942 में बनाई गई समिति के सलाह पर आधारित थे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रेस कटिंग, बिजोलिया ऐजिटेशन, नं. 13., अ.बी.; रामनारायण चौधरी, आधुनिक राजस्था का उत्थान, पृष्ठ 47-48

2. मेवाड़ में भीषण दमन— अंजना देवी गिरफ्तार, नवीन राजस्थान, 13 अगस्त 1922 (प्रेस कटिंग 1922 महकमा राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर)
3. "तरुण राजस्थान" 31 मई 1925 प्रेस कटिंग (पीड़ित व्यक्ति का बयान)
4. प्रताप कर्णपुर – 15 जून 1925 (प्रेस कटिंग)
5. तरुण राजस्थान पेंसिलेट.....प्रेस कटिंग 1942 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर

